

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 109/2008/जोधपुर

मैसर्स देसाई ब्रदर्स, जोधपुर

.....अपीलार्थी।

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर

2. सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल – सदस्य

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 18/02/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 41/आरएसटी/जेयू-सी/2007-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.12.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 29.03.2007 द्वारा दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी संशोधन अधिनियम "The Taxation Laws (Amendment) Act, 2007 (Bill No. 13/c of 2007) लागू किया है। इसके अनुसार "The Additional Duties of Excise (Goods of special importance) Act 1957 की धारा 4 एवं द्वितीय अनुसूची को हटाया गया है तथा प्रथम अनुसूची को संशोधित किया गया है। जिसके कारण राज्य सरकार को तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर वैट लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। उक्त संशोधन के आधार पर दिनांक 01.04.2007 से तम्बाकू उत्पाद राज्य में कर योग्य हो जाते हैं। दिनांक 01.04.2007 को आरवैट एक्ट की धारा 8(1) के अधीन अनुसूची 2 की प्रविष्टि संख्या 40 में यह अंकित है कि यदि Additional Excise Duties Leviable हो परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उसे मुक्त कर रखा है तो तम्बाकू उत्पाद कर मुक्त होंगे। साथ ही अनुसूची संख्या IV की प्रविष्टि संख्या 136 में प्रावधान निम्नप्रकार है :- तम्बाकू जो की अनुसूची I में शामिल नहीं है।

उक्त प्रविष्टि संख्या 136 से स्पष्ट है कि यदि तम्बाकू पर AED Leviable ही नहीं है तो उस पर 4 प्रतिशत से कर देयता होगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2007 से विशिष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी कर इस पर 12.5 प्रतिशत से कर लगा दिया। परन्तु दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक अनुसूची संख्या IV की प्रविष्टि संख्या 136 के अनुसार इस पर 4 प्रतिशत से कर देयता बनती है। ऐसी स्थिति में दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक तम्बाकू उत्पाद पर 4

प्रतिशत से कर देयता बनती है। उक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2007 को अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत आदेश पारित कर दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक की बीड़ी की बिक्री रुपये 3,68,19,743/- पर @ 4 प्रतिशत से कर रुपये 14,72,790/- व ब्याज रुपये 34,860/- एवं कर की दोगुना धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित कर दी गयी। इसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर उसके द्वारा कर व ब्याज को कायम रखा तथा शास्ति अपास्त कर दी गयी। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कर व ब्याज कायम करने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक तम्बाकू की बिक्री AED Paid थी। अतः उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार चूंकि राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिनांक 04.04.2007 से कर लगाया है अतः उससे पूर्व कर देयता नहीं बनती है। अतः आरोपित कर व ब्याज को अवैधानिक बताते हुए अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये गये :-

1. IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR Rajasthan AT JAIPUR BENCH, JAIPUR. ORDER IN S.B. SALE TAX REVISION PET. NO. 14/91 COMMERCIAL TAXES OFFICER V/s M/S SUNIL TRADING COMPANY DATE OF ORDER 01-10-1991
2. (1990) 8 RTJS 194 SALES TAX TRIBUNAL
M/S Sunil Trading Co. V/s Commercial Taxes Officer, Jaipur Appeal No. 21/1990, Jaipur decided on June 8, 1990.
3. (1986) RTC 133 (HIGH COURT)
Mahavir Industries V/s Board of Revenue & Ano. (56) DB S.T.R. No. 343/1985 decided on 27.08.1985
4. (1996) 20 RTJS 158 Rajasthan Tax Board, Ajmer.
Commercial Taxes Officer; Anti Evasion II, Jaipur V/s M/s Manisha Sales & Services Jaipur. Appeal No. 71 & 72/1992, Jaipur decided on November 8, 1995.
5. (1996) 20 RTJS 201 Rajasthan Tax Board, Ajmer.
Asstt. Commissioner, Special Circle, Alwar V/s M/s Vijay Solvex Ltd., Alwar (Rajasthan) Appeal No. 284/1994, Alwar decided on December 6, 1995.
6. (1997) 21 RTJS 24 (RTB) Rajasthan Tax Board, Ajmer.
Commercial Taxes Officer, Circle G, Jaipur V/s M/s Khandelwal Bardana Stores, Jaipur. Appeal No. 41/1994, decided on October 30, 1996.

उक्त न्यायिक निर्णयों में यह निर्णीत किया गया है कि Deoiled cake एवं ग्वार, चुरी पशु आहार होने से कर मुक्त हैं यद्यपि इन पर कर दर निर्धारित की गयी है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार उक्त निर्णयों के निष्कर्ष के मध्यनजर बीड़ी दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक कर मुक्त थी।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 29.03.2007 को अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद पर जो AED Leviable के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.04.2007 से तम्बाकू पर वैट लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो गया था। चूंकि अनुसूची संख्या IV की प्रविष्टि संख्या 136 में पूर्व से ही तम्बाकू कर, कर देयता का प्रावधान किया हुआ था अतः दिनांक 01.04.2007 से ही बिक्री पर 4 प्रतिशत से कर देयता बन जाती है। जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कर @ 4 प्रतिशत से आरोपित किया गया है। तथा इस पर कर नहीं चुकाये जाने के कारण ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर उचित रूप से कर व ब्याज को यथावत रखा गया है। शास्ति के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा राहत दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि दिनांक 29.03.2007 से केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू (यहां बीडी) पर AED की Leviability को समाप्त कर राज्य सरकार को बीडी पर कर लगाने की छूट दे दी गयी थी। चूंकि राजस्थान राज्य में वैट एक्ट के तहत विद्यमान अनुसूची संख्या IV की प्रविष्टि संख्या 136 के अनुसार पूर्व में ही 4 प्रतिशत से कर देयता निर्धारित थी अतः दिनांक 01.04.2007 से ही बीडी पर 4 प्रतिशत की कर देयता बन जाती है। हालांकि राज्य सरकार ने दिनांक 04.04.2007 से इस 12.5 प्रतिशत से कर योग्य अधिसूचित कर दिया गया है। परिणामतः दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक बीडी पर 4 प्रतिशत से कर देयता बनती है। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक की बीडी पर AED चुकायी गयी है। इस तथ्य के कोई प्रमाण वह नहीं दे सके। अतः यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 03.04.2007 तक बीडी पर 4 प्रतिशत से कर देयता बनती है। अधिकृत प्रतिनिधि ने जो न्यायिक निर्णय उद्धरित किये हैं वे इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्नता के आधार पर लागू नहीं होते हैं। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से कर व ब्याज आरोपित किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को कर व ब्याज के बिन्दु पर यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को खारिज किया जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 18-2-14

सदस्य

(मदन लाल)

सदस्य